भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4835

01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत

फ़ेम के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशन

4835. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम) योजना के तहत देश भर में स्था पित सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टे शनों की संख्याा राज्य वार कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्षवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ग) ईवी चार्जिंग स्टेगशनों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का प्रतिशत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी पर इसका प्रभाव कितना है; और

(घ) देश में सतत रूप से ईवी प्रणाली अपनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, बैटरी-स्वैकपिंग प्रौद्योगिकियों और स्मा र्ट-ग्रिड समाधानों को प्रोत्साकहित करने के लिए क्या् कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : फेम-।। स्कीम के अंतर्गत संस्थापित इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) का ब्योरा संलग्नक पर है।

(ख) : स्कीम के अंतर्गत आवंटित 839 करोड़ रुपए में से 633.44 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान जारी/प्रयुक्त निधियों का स्कीम-वार ब्योरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल व्यय
ईवीपीसीएस के लिए ओएमसी को जारी अनुदान	0	21.99	0	560	51.45	633.44

(ग) और (घ) : भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर,2024 को जारी "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना संस्थापन और प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश-2024" में रियायती शुल्कों के माध्यम से सौर घंटों की चार्जिंग, बस डिपो में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन और सौर कारपोर्ट के संवर्धन आदि को प्रोत्साहन दिया गया है। इन दिशानिर्देशों में ईवी चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर बल दिया गया है। कारोबारी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को लाइसेंस-मुक्त कार्य माना गया है। सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता के लिए सुझाव दिया गया है कि सरकारी अथवा सार्वजनिक इकाइयों को राजस्व साझाकरण मॉडल पर प्रति किलोवाट घंटा 1 रूपए के समान मूल्य पर सार्वजनिक भूमि दी जाए। गैर-सरकारी इकाइयों के लिए भूमि 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे के समान मूल्य पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त, बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि की सार्वजनिक निविदा को प्रौद्योगिकी के लिए स्वतंत्र रखने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बीएसएस के अनवरत प्रचालन की अनुमति दें।

*****

संलग्नक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ तीन तेल विपणन कंपनियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक इकाइयों द्वारा फेम के अंतर्गत संस्थापित ईवी पीसीएस की संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	01.03.2025 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा फेम के अंतर्गत संस्थापित चार्जरों की संख्या	03.02.2025 की स्थिति के अनुसार अन्य इकाइयों द्वारा संस्थापित चार्जरों की संख्या	राज्य कुल
तमिलनाडु	654	18	672
आंध्र प्रदेश	507		507
महाराष्ट्र	495	20	515
गुजरात	468	52	520
कर्नाटक	466	3	469
राजस्थान	461	10	471
उत्तर प्रदेश	403	8	411
पश्चिम बंगाल	346	4	350
पंजाब	301		30 I
तेलंगाना	272		272
बिहार	248		248
केरल	242	30	272
मध्य प्रदेश	240	5	245
झारखंड	144		144
ओडिशा	124		124
असम	108		108
दिल्ली	59	25	84
उत्तराखंड	46		46
जम्मू एवं कश्मीर	39		39
हरियाणा	36	2	38
हिमाचल प्रदेश	36	7	43
छत्तीसगढ	34		34
मेघालय	23		23
गोवा	15		15
मणिपुर	12		12
नगालैंड	10		10
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव	6		6
पांडिचेरी	6	-	6
लद्दाख	4	-	4
मिजोरम	4		4
अरुणाचल प्रदेश	3	-	3
त्रिपुरा	3		3
अंडमान और निकोबार	1		1
सिक्किम		1	1
चंडीगढ़	-	25	25
मेघालय	-	1	1
कुल	**5,817**	**210**	**6,027**

****